राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

व्हीसल ब्लोअर नीति

(वर्ष 2023-2024)

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

दस्तावेज़ जानकारी

पॉलिसी का नाम	बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति - वर्ष 2023-24		
दस्तावेज़ वर्गीकरण	आंतरिक एवं रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर साझा किया जाएगा		
पॉलिसी स्वामित्व	लेखापरीक्षा प्रमुख		
के द्वारा अनुमोदित	बोर्ड	**पूर्व में अद्यतित किया गया**	27 दिसंबर 2022

वितरण सूची:

क्र. सं.	**नाम/पदनाम**
1.	परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति
2.	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
3.	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
4.	निदेशक मंडल

विषय-सूची

1. पृष्ठभूमि 4
2. प्रस्तावना 4
3. उद्देश्य 4
4. सक्षम प्राधिकारी 4
5. सार्वजनिक हित प्रकटीकरण 5
6. कार्य-क्षेत्र 5
7. व्हीसल ब्लोअर की भूमिका 6
8. व्हीसल ब्लोअर द्वारा प्रकटीकरण के संबंध में जांच 6
9. व्हीसल ब्लोअर संरक्षण 7
10. रिपोर्टिंग हेतु प्रक्रिया 8
11. बैंक स्तर पर परिचालन पद्धति 8
12. अन्य पहलू 9
13. समीक्षा की आवृत्ति 10

1. पृष्ठभूमि

1.1 केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक, (बाद में बैंक के रूप में संदर्भित), नैतिकता और अखंडता के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक के पास कॉरपोरेट अभिशासन को बढ़ाने की दृष्टि से, 'व्हीसल ब्लोअर नीति' का गठन उचित कदम होगा। केंद्र सरकार के पीआईडीपीआई संकल्प और उचित शिकायत प्रबंधन प्रणाली के अतिरिक्त, इस नीति का उद्देश्य बैंक के अधिकारी/कर्मचारी की शिकायतों को प्राथमिकता देने एवं भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय में कोई अनुचित व्यवहार के किसी भी आरोप पर उत्पीड़न व प्रतिशोध के डर के बिना प्रकटीकरण कर सकने का है।

1.2 यह नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/सेबी दिशानिर्देशों/केंद्रीय सतर्कता आयोग आदि द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के आलोक में तैयार की गई है, जैसा कि बैंक के लिए लागू और प्रासंगिक है।

2. प्रस्तावना

2.1 सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, बैंक व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने मामलों को संचालित करने में विश्वास रखता है। बैंक ऐसी संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ पर यह उन सभी के लिए सुरक्षित वातावरण हो, जो किसी भी स्तर पर किसी भी अस्वीकार्य/अनैतिक प्रथा या कदाचार के बारे में आशंका का संकेत देता है।

2.2 इस तरह, यदि शिकायतकर्ता बैंक के किसी भी विभाग/कार्यालय/शाखा में कोई अन्य गलत आचरण या अनैतिक और अनुचित व्यवहार को देखता है तो वह इस नीति के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसे बैंक में "व्हीसल ब्लोअर नीति" के तौर पर जाना जाएगा।

2.3 सेबी के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत, व्हीसल ब्लोअर शिकायतें लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जायेंगी जिसका सीधा एक्सेस व्हीसल ब्लोअर द्वारा लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी होगा। दिनांक 01.07.2016 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार, सीवीओ (मुख्य सतर्कता अधिकारी) व्हीसल ब्लोअर (बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी) से सीधे शिकायत प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत नहीं है।

3. उद्देश्य

3.1 इस नीति का उद्देश्य बैंक के किसी भी कर्मी के विरुद्ध भ्रष्टाचार या अपने अधिकारों का जान-बूझकर दुरुपयोग करने के किसी भी आरोप से संबंधित संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त करने हेतु एक प्रणाली स्थापित करना है तथा इस प्रकार के प्रकटीकरण के कारण की जांच करना एवं ऐसा संरक्षित प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई और उससे जुड़े एवं इससे संबंधित आकस्मिक मामलों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करना है।

4. सक्षम प्राधिकारी

4.1 इस नीति के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त संरक्षित प्रकटीकरण पर कार्रवाई करने हेतु बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होंगे।

5. सार्वजनिक हित प्रकटीकरण

5.1 सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, बैंक व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने मामलों को संचालित करने में विश्वास रखता है। बैंक ऐसी संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ पर यह उन सभी के लिए सुरक्षित वातावरण हो, जो किसी भी स्तर पर किसी भी अस्वीकार्य/अनैतिक प्रथा या कदाचार के बारे में आशंका का संकेत देता है।

5.2 इस तरह, यदि शिकायतकर्ता बैंक के किसी भी विभागों/कार्यालय/शाखाओं में कोई अन्य गलत आचरण या अनैतिक और अनुचित व्यवहार को देखता है तो वह इस नीति के तहत प्रकटीकरण कर सकता है।

5.3 इस नीति के प्रावधानों के अनुसार किए गए प्रत्येक प्रकटीकरण को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सार्वजनिक हित प्रकटीकरण माना जाएगा।

5.4 प्रत्येक प्रकटीकरण सद्भावपूर्वक किया जाएगा एवं संरक्षित प्रकटीकरण करने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत घोषणा करेगा कि वह पूरी तरह से मानता है कि उसके द्वारा मांगी गयी जानकारी तथा उसमें निहित आरोप वास्तव में सत्य है।

5.5 व्हीसल ब्लोअर यह भी घोषित करेगा कि उसने इस प्रकटीकरण से पहले इस विषय पर किसी बाह्य प्राधिकरण/एजेंसी या बैंक के उच्च अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं की है।

5.6 प्रत्येक संरक्षित प्रकटीकरण इस नीति के अनुच्छेद 11 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया में लिखित रूप में किये जायेंगे, जिसमें पूर्ण विवरण होगा एवं इसके साथ सहायक दस्तावेज, या अन्य सामग्री, यदि कोई हो, होगी।

5.7 सक्षम प्राधिकारी, यदि उचित समझे, प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति से अधिक जानकारी या विवरण मांग सकता है।

5.8 यदि प्रकटीकरण शिकायतकर्ता की पहचान को इंगित नहीं करता है या शिकायतकर्ता की पहचान गलत पाई जाती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

6. कार्य-क्षेत्र

6.1 वित्तीय कदाचार, जहां कहीं पाया गया हो, की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए, सभी व्हिसिल ब्लोअर्स (अर्थात इस नीति के तहत प्रकटीकरण करने वाले बैंक के कर्मचारी और निदेशक) को एक निवारक सतर्कता उपाय के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है।

6.2 यह नीति उन सभी व्हिसिल ब्लोअर्स (अर्थात इस नीति के तहत प्रकटीकरण करने वाले बैंक के कर्मचारी और निदेशक) की सहायता करना चाहती है, जो बैंक के भीतर होने वाले किसी भी गलत कार्य जैसे कि

अनुचित आचरण, कदाचार, दुराचार, किसी भी विधिक या विनियामक प्रावधानों के उल्लंघन, वित्तीय कुप्रबंधन, लेखा अनियमितताओं आदि की रिपोर्ट करने हेतु चिंतित है।

6.3 हालांकि इस तरह के दुराचार/कदाचार/उल्लंघन करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत सूची की गणना नहीं की जा सकती है, अत: यह आशा की जाती है कि इस नीति के तहत निम्नलिखित कार्यों की सूचना दी जाये:

i. अनुचित अपराध (जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या चोरी) किए जाने/होने की संभावना।
ii. विधिक/विनियामक प्रावधान का पालन न करना।
iii. अन्य को कुछ अनुचित लाभ प्रदान करने हेतु केवाईसी/एएमएल का उल्लंघन।
iv. बैंक द्वारा ग्राहक के भरोसे का उल्लंघन।
v. अनधिकृत तरीके से उपयोग की गयी बैंक निधियां।
vi. स्टाफ के किसी सदस्य, सेवा प्राप्तकर्ता या सेवा प्रदाता का लैंगिक या शारीरिक शोषण।
vii. अनुचित कार्रवाई या आचरण का कोई अन्य प्रकार।
viii. उपरोक्त में से किसी भी संबंधित जानकारी को जानबूझकर छुपाना या उसे छिपाने का प्रयास करना।
ix. खाते में धोखाधड़ी करना।

6.4 व्हीसल ब्लोअर बैंक के कोई भी कर्मी/महाप्रबंधक स्तर तक के अधिकारी के विरुद्ध प्रकटीकरण कर सकता है।*

* किसी भी निदेशक, कार्यपालक निदेशक, प्रबंध निदेशक आदि के विरुद्ध प्रकटीकरण के संबंध में, इसे भारत सरकार के सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण (पीआईडीपीआई) विनियमों के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) या सचिव, डीएफएस जैसे नामित प्राधिकारी के समक्ष दर्ज किया जा सकता है।

7. व्हीसल ब्लोअर की भूमिका

व्हीसल ब्लोअर (अर्थात इस नीति के तहत प्रकटीकरण करने वाले बैंक के कर्मचारी और निदेशक) की भूमिका महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले रिपोर्टिंग पार्टी की होती है। उसे जांचकर्ता या तथ्य अंवेषक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता या अपेक्षा नहीं है, न ही वह यह निर्धारित करेगा कि किसी मामले में उचित सुधारात्मक या उपचारात्मक कार्रवाई की जाये।

8. व्हीसल ब्लोअर द्वारा प्रकटीकरण के संबंध में जांच

8.1 सक्षम प्राधिकारी, शिकायतकर्ता की पहचान आवृत करते हुए संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने पर, यह पता लगाने के लिए कि प्रकटीकरण पर आगे कार्रवाई की है या नहीं, अधिकतम 45 दिनों की अवधि के भीतर सावधानीपूर्वक जांच करेगा।

8.2 सक्षम प्राधिकारी मामले को बंद कर सकता है, यदि जांच करने के बाद, यह राय होती है कि:

8.2.1 प्रकटीकरण में निहित तथ्य एवं आरोप तंग या परेशान करने वाला है: अथवा

8.2.2 जांच पर कार्रवाई करने का पर्याप्त कारण नहीं है।

8.3 धोखाधड़ी से संबंधित कोई भी प्रकटीकरण एवं सतर्कता संबंधी निहितार्थ विषय को आगे कार्रवाई के लिए सीवीओ के ध्यान में लाया जाएगा।

8.4 जाँच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि रिपोर्ट में जानबूझकर किये गये गलत कार्यों को प्रकट किया गया है या उसमें भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि होती है, तो सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित कदम उठाएगा:

8.4.1 बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार दोषी अधिकारी (अधिकारियों) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही या प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी से अनुशंसा।

8.4.2 सुधारात्मक उपाय करने की अनुशंसा।

8.5 सक्षम प्राधिकारी मामले के गुण-दोष के आधार पर मामले को बंद करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई का निर्णय ले भी सकता है या नहीं भी ले सकता है।

8.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित मामलों पर विचार या जांच नहीं किया जायेगा:

8.6.1 यदि किसी निर्दिष्ट मामले या प्रकटीकरण में उठाए गए मुद्दे का निर्धारण किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, जो इस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है, तो निर्दिष्ट मामले या प्रकटीकरण में उठाए गए मुद्दे पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी प्रकटीकरण पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक उस मुद्दे को फिर से खोलने की मांग न की जाये।

8.6.2 यदि लोक सेवक अधिनियम के तहत किसी भी सार्वजनिक जांच का आदेश दिया जा चुका है या जांच आयोग अधिनियम के तहत जांच के लिए संदर्भित किया गया है।

8.6.3 यदि संरक्षित प्रकटीकरण उस तिथि से सात वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है, जिस पर शिकायत पर कार्रवाई कथित रूप से हुई थी।

8.7 सक्षम प्राधिकारी व्यवसाय नियमों के अनुसार अधिकारी द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे।

9. व्हीसल ब्लोअर संरक्षण

9.1 यदि इस नीति के तहत कोई प्रश्न उठाता है, तो उसे किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होगा जैसे कि किसी भी तरह का कष्ट, प्रतिशोध, उत्पीड़न या हिंसा। बैंक सही प्रश्न उठाने वाले किसी भी व्यक्ति पर हो रहे उत्पीड़न को सहन नहीं करेगा।

9.2 संरक्षण उपलब्ध है बशर्ते कि:

i. संचार/प्रकटीकरण सद्भावनापूर्वक की गयी हो।

ii. वह यथोचित रूप से मानता है कि जानकारी, और उसमें निहित कोई भी आरोप, वास्तव में सही है।

iii. वह व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं कर रहा हो।

9.3 बैंक उसकी सहमति के बिना पहचान का प्रकटीकरण नहीं करेगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां बैंक पहचान प्रकट किए बिना समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है (उदाहरण के लिए क्योंकि अदालत में उसके साक्ष्य की आवश्यकता है), तो बैंक उसके साथ उस मामले पर चर्चा करेगा जिसमें बैंक कार्रवाई करना चाहता है, और सांविधिक आवश्यकताओं की सीमा के भीतर पहचान प्रकट करने पर उसकी वरीयता को पूरा करने का प्रयास करेगा।

10. रिपोर्टिंग हेतु प्रक्रिया

व्हीसल ब्लोअर नीति के प्रावधानों के तहत किया जाने वाला कोई भी प्रकटीकरण हेतु निम्नलिखित पहलुओं का पालन करना चाहिए: -

1. इस योजना के तहत गुमानाम/छद्मनामी शिकायतों/रिपोर्टों को शामिल नहीं किया जाएगा।
2. अध्यक्ष, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) को बंद लिफाफे के माध्यम से संरक्षित तरीके से शिकायत/रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। व्हिसिल ब्लोअर असाधारण या उचित मामलों में अपना आवेदन सीधे बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकता है।
3. जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है लिफाफे को अधिकारियों को संबोधित किया जाना चाहिए (परिचालन पद्धति का संदर्भ लें) और उसके ऊपर **"व्हीसल ब्लोअर नीति के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण"** लिखा जाना चाहिए। शिकायतकर्ता को केवल अपना नाम और पता या तो शिकायत की विषयवस्तु की शुरुआत में या उसके अंत में देना चाहिए।
4. यदि शिकायतकर्ता चाहता है कि उसके नाम का खुलासा नहीं किया जाए, तो शिकायत की विषयवस्तु को सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसका/उसकी पहचान के अनुसार कोई विवरण या संकेत न प्रकट हो। हालांकि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन- योग्य होना चाहिए।

10.1 यदि लिफाफे के ऊपर कुछ लिखा न हो और वह बंद हो तो, बैंक के लिए शिकायतकर्ता की पहचान को आवृत्त करना संभव नहीं होगा, यद्यपि उसकी सुरक्षा उपरोक्त नीति के तहत है। ऐसी शिकायतों को बैंक की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार निपटाया जाएगा।

11. बैंक स्तर पर परिचालन पद्धति

11.1 व्हिसिल ब्लोअर सक्षम प्राधिकारी को लिखित शिकायत कर सकते है।

11.2 शिकायतकर्ता निम्नलिखित पते पर **"व्हीसल ब्लोअर नीति के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण"** के रूप में चिह्नित बंद/ संरक्षित लिफाफे में अध्यक्ष, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) को शिकायत दर्ज करेगा:

अध्यक्ष,
बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, पांचवा तल
भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड
नई दिल्ली -110003

11.3 व्हीसल ब्लोअर को सूचित किया जाता है इस मोड का अधिमानतः उपयोग करें क्योंकि यह व्हीसल ब्लोअर की पहचान आवृत्त करने में मदद करेगा।

11.4 इस नीति के तहत प्राप्त सभी प्रकटीकरण अध्यक्ष, एसीबी द्वारा इस संबंध में नामित प्रबंध निदेशक एवं बोर्ड सचिवालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में खोले जाएंगे। एक बार जब, अध्यक्ष, एसीबी यह निर्णय ले लेता है कि इस प्रकटीकरण पर व्हीसल ब्लोअर नीति के तहत विचार किया जा सकता है तब प्राधिकृत अधिकारी इसे कॉर्पोरेट रजिस्टर में दर्ज करेगा जिसमें इस नीति के तहत प्राप्त प्रकटीकरण का संक्षिप्त विवरण होगा। वह प्रत्येक प्रकटीकरण हेतु विशिष्ट संदर्भ संख्या (यूआरएन) निर्दिष्ट करेगा। व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी के तहत प्राप्त प्रकटीकरण के संबंध में सभी अंतर-कार्यालय पत्राचार केवल विशिष्ट संदर्भ संख्या (यूआरएन) का हवाला देते हुए किए जाएंगे, न कि व्हीसल ब्लोअर के नाम का।

12. अन्य पहलू

12.1 शिकायतकर्ता (व्हीसल ब्लोअर) की पहचान को आवृत्त करने के लिए, बैंक कोई पावती जारी नहीं करेगा और व्हीसल ब्लोअर को यह भी सलाह दी जाएगी कि यदि वह अनुस्मारक भेजना चाहता है, तो उसे पत्राचार की उसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।

12.2 यह आंतरिक व्हिसल ब्लोअर प्रणाली केवल बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है तथा आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है।

12.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अंतर्गत, व्हीसल ब्लोअर शिकायतों की संवीक्षा बैंक के एफएमजी (धोखाधड़ी निगरानी समूह) द्वारा की जाती है। तदनुसार, गोपनीयता रखने के लिए "व्हीसल ब्लोअर नीति" के तहत प्राप्त सभी शिकायतों की संवीक्षा धोखाधड़ी प्रबंधन एवं परीक्षा समिति (एफएमईसी) द्वारा की जाएगी तथा निर्णय के लिए उक्त को लेखापरीक्षा विभाग द्वारा एसीबी के समक्ष रखा जाएगा।

12.4 इस नीति के तहत अपने विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रतिशोध में किसी कर्मचारी/अधिकारी (व्हीसल ब्लोअर) के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई या सिफारिश नहीं की जाएगी। हालांकि, उसे अपने कदाचार के लिए संरक्षित नहीं किया जाएगा, जो कि व्हीसल ब्लोअर के रूप में किए गए प्रकटीकरण से संबंधित नहीं है।

12.5 एक कर्मचारी जो जानबूझकर अनैतिक और अनुचित व्यवहार या कथित गलत आचरण के झूठे आरोप लगाता है, वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगा और उसे नीति के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा।

12.6 व्हीसल ब्लोअर को उसकी पहचान को बचाने हेतु उसके द्वारा किए गए प्रकटीकरण के संबंध में आगामी विकास/की गई कार्रवाई के लिए अनुस्मारक भेजने से बचना चाहिए।

12.7 लिखित रूप में प्राप्त सभी रिपोर्ट या उससे संबंधित जांच के परिणाम के साथ प्रलेखित बंद होने की तिथि से सात वर्ष की अवधि हेतु बैंक द्वारा प्रतिधारित किये जाएंगे।

12.8 व्हीसल ब्लोअर नीति के तहत नियुक्ति, तैनाती एवं स्थानान्तरण आदि से संबंधित मामलों पर सामान्य रूप से विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों हेतु शिकायतकर्ता किसी अन्य प्रणाली का उपयोग कर सकता है।

13. समीक्षा की आवृत्ति

13.1 नीति की समीक्षा वार्षिक आधार की जाएगी।

******